प्रश्नः मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों और अंतरों

का विश्लेषण कीजिए।

भारतीय संविधान के दर्शन में **मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)** और **राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)** वे दो आधार स्तंभ हैं, जिन्हें प्रख्यात संविधानविद् **ग्रैनविले ऑस्टिन (Granville Austin)** ने "संविधान की अंतरात्मा" (Conscience of the Constitution) की संज्ञा दी है। जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना हेतु राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

इन दोनों के मध्य संबंधों और अंतरों का विश्लेषण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है:

1. मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य मुख्य अंतर

विधिक और कार्यात्मक दृष्टिकोण से इन दोनों के बीच के अंतर को निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:

आधार	मौलिक अधिकार (भाग III)	नीति निर्देशक तत्व (भाग IV)
प्रकृति	ये प्रायः नकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि ये राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं।	ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि ये राज्य को कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आदेश देते हैं।
न्यायसंगतता (Justiciability)	ये न्यायसंगत हैं। उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायालय की शरण ली जा सकती है।	ये गैर-न्यायसंगत हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता (अनुच्छेद 37)।

उद्देश्य	इनका मुख्य उद्देश्य देश में **'राजनीतिक लोकतंत्र'** की स्थापना करना है।	इनका उद्देश्य **'सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र'** की नींव रखना है।
दायरा	ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, अतः ये वैयक्तिक (Individualistic) हैं।	ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, अतः ये समाजवादी (Socialistic) हैं।
निलंबन	आपातकाल के दौरान इन्हें (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) निलंबित किया जा सकता है।	ये स्थायी हैं और इनके निलंबन का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये सरकार की निरंतर नीतियों का हिस्सा हैं।

2. ऐतिहासिक एवं विधिक संबंधों का विकास (Evolution of Relationship)

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर इन दोनों के मध्य सर्वोच्चता और संतुलन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं:

- **प्रथम चरण: मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता (चंपकम दोराईराजन मामला, 1951):** सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में व्यवस्था दी कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के अधीन हैं और यदि दोनों में टकराव होता है, तो मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे।
- **द्वितीय चरण: संसद की शक्ति और टकराव (गोलकनाथ मामला, 1967):** न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार 'अलंघनीय' (Sacrosanct) हैं और संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती।
- **तृतीय चरण: समन्वय और संतुलन (केशवानंद भारती मामला, 1973):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को क्षति पहुँचाए बिना संसद दोनों के बीच सामंजस्य बिठा सकती है।
- **चतुर्थ चरण: रथ के दो पहिये (मिनर्वा मिल्स मामला, 1980):** मुख्य न्यायाधीश **चंद्रचूड़** ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि *"भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर टिकी है। ये एक ही रथ के दो पहियों के समान हैं, जिनमें से एक दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं है।"*

3. विभिन्न विद्वानों के मत

- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** के अनुसार, नीति निर्देशक तत्व "निर्देशों के साधन" (Instrument of Instructions) हैं। उनका तर्क था कि यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी कोई भी सरकार इन्हें अनदेखा नहीं कर सकती क्योंकि उसे चुनाव के समय जनता को उत्तर देना होता है।
- **ग्रैनविले ऑस्टिन** ने अपनी पुस्तक 'The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation' में तर्क दिया है कि ये दोनों तत्व मिलकर **"सामाजिक क्रांति"** के लक्ष्य को पूरा करते हैं। उनके अनुसार, यह "निर्बाध जाल" (Seamless Web) के समान हैं जहाँ एक की अनुपस्थिति में दूसरा अपना अर्थ खो देता है।
- **ग्लैडहिल (Gledhill)** जैसे आलोचकों का मानना था कि नीति निर्देशक तत्व केवल "नैतिक उपदेश" (Moral Precepts) हैं, किंतु आधुनिक न्यायपालिका ने 'अनुच्छेद 21' (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करते समय नीति निर्देशक तत्वों (जैसे- शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार) को इसमें समाहित कर इन्हें व्यावहारिक रूप से प्रभावी बना दिया है।

4. क्रियात्मक पूरकता (Functional Complementarity)

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में इन्हें परस्पर विरोधी मानने के बजाय **पूरक (Complementary)** माना जाता है।

1. **व्याख्यात्मक भूमिका:** न्यायालय किसी कानून की वैधानिकता की जांच करते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखता है। यदि कोई कानून किसी निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाता है, तो उसे 'उचित' (Reasonable) माना जाता है।
2. **संवैधानिक पूर्णता:** जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के अत्याचार से बचाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक सक्रिय भूमिका (Active Role) निभाने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि व्यक्ति उन अधिकारों का वास्तविक उपभोग कर सके। उदाहरण के लिए, बिना आर्थिक समानता (DPSP) के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (FR) एक भूखे व्यक्ति के लिए अर्थहीन है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के वे दो हाथ हैं जो साथ मिलकर एक 'न्यायपूर्ण समाज' का निर्माण करते हैं। इन दोनों के मध्य FR + DPSP = Social Justice का संबंध है। जैसा कि **न्यायमूर्ति भगवती** ने कहा था, *"मौलिक अधिकार वे लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करना है, और नीति निर्देशक तत्व वे मार्ग हैं जिनसे होकर उन लक्ष्यों तक*

पहुँचा जा सकता है।" अतः, ये परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के परिपूर्ण और अभिन्न अंग हैं